

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-108/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० स्वाति, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति), पदस्थापन की प्रतीक्षा में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय) सम्प्रति अधिसूचित संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर, समस्तीपुर द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-28.03.2025 से 23.09.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनो का उपभोगित/उपभोग किये जाने वाला अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 डा० स्वाति, अवकाश समाप्ति के पश्चात अपने अधिसूचित संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करेगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-108/2025-

पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर, समस्तीपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/ डा० स्वाति, तत्कालीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति), पदस्थापन की प्रतीक्षा में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय) सम्प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर, समस्तीपुर अधिसूचित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव